

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/2024, लखनऊ :: दिनांक मई 17, 2024
--:: संशोधित आदेश ::--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण गाजियाबाद पीठ द्वितीय, गाजियाबाद ने पत्र संख्या-29/2024 दिनांक 07.05.2024 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 20 व 21.06.2024 को वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों का सम्मेलन व वार्षिक चुनाव होना है, जिसके कारण बरेली जनपद में दिनांक 19.06.2024 से 21.06.2024 तक पूर्व गठित युगल पीठ को शिफ्ट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0 469/2024 दिनांक 02.05.2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए जनपद बरेली में दिनांकित 19.06.2024 से 21.06.2024 तक गठित खण्ड पीठ निरस्त जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/- 17.05.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ - 2, गाजियाबाद।
 - 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ - बरेली।
 - 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
 - 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।